ई–मेल registrar@rmlau.ac.in

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : 494/लो0अ0वि0–सा0प्र0/2021

दिनांकः 07 अगस्त, 2021

कार्यालय आदेश

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.03.2021 के प्रस्ताव संख्या 08 में वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों यथा– विवेकानन्द प्रेक्षागृह, गेंदालाल दीक्षित अतिथि गृह एवं अटल अतिथि गृह को किराये पर देकर राजस्व प्राप्त किये जाने के निमित्त बुकिंग की व्यवस्था किये जाने एवं किराये की दरों का निर्धारण किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित दर एवं प्रतिबन्धों को लागू किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई, जिसका अनुमोदन कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2021 की मद संख्या 03 में किया गया। विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	सम्पत्ति का नाम	विवरण	किराया की दर प्रतिदिन
1.	विवेकानन्द प्रेक्षागृह	विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों हेतु आरक्षित दिनों को छोड़कर प्रतिदिन की बुकिंग सामान्यजन को की जायेगी।	रू0 45,000.00 (रू0 40,000 किराया + रू0 5,000.00 विद्युत एवं रख–रखाव) डीजल सहित।
2.	गेंदालाल दीक्षित अतिथि गृह	कुल 05 कमरों को जिन्हें ट्रान्जिट हास्टल के रूप में प्रयोग किया जायेगा एवं 05 सूट को छोड़कर अन्य कमरों की बुकिंग सामान्यजन को की जायेगी।	1. डीलक्स रूम– रू0 1,000.00 प्रतिकक्ष रू0 200.00 अतिरिक्त बेड। 2. डारमेट्री– रू0 200.00 प्रति बेड 3. डाइनिंग हाल– रू0 2,000.00 प्रतिदिन 4. कान्फ्रेंस रूम– रू0 3000.00 प्रतिदिन
3.	अटल अतिथि गृह	नीचे के 03 वी0आई0पी0 कक्ष एवं ऊपर के 02 कक्षों को छोड़कर ऊपरी तल के समस्त कक्षों को जनसामान्य को आवंटित किया जायेगा। 1. अतिथि गृह में स्थित चांसलर सूट को मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आंवटित किया जायेगा। 2. विश्वविद्यालय अधिकारियों को स्थानान्तरण/नई तैनाती की स्थिति में आवश्यकतानुसार अनुमति दी जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी को नियमानुसार मकान किराया भत्ता का भुगतान करना होगा।	1. साधारण कक्ष– रू0 800.00 प्रति कक्ष। 2. डारमेट्री– रू0 200.00 प्रति बेड।

उपरोक्त दरों के साथ जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।

2. कुलपति महोदय द्वारा विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शुल्कों में 50 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

ई–मेल registrar@rmlau.ac.in

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ0प्र0)

3. मूल्यांकन व परीक्षा कार्यो/सचल दल से सम्बन्धित शिक्षकों/सदस्यों को अतिथि गृह में ठहरने की स्थिति में उन्हें विश्वविद्यालय से देय डी0ए0 की धनराशि को किराये के रूप में भुगतान करना होगा।
4. उपरोक्त सम्पत्तियों से प्राप्त राजस्व को विश्वविद्यालय में पृथक खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा प्राप्त आय का 30 प्रतिशत उल्लिखित सम्पत्तियों के रख–रखाव एवं 70 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा अन्य मदों में व्यय किया जायेगा।
5. अतिथि गृह की बुकिंग एवं भुगतान की व्यवस्था विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से की जायेगी।
6. अतिथि गृह की बुकिंग केवल सरकारी कार्य एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों से अनुमोदित कार्य हेतु ही की जायेगी।
7. अतिथि गृह में नशीले पदार्थ का सेवन/मदिरापान पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। आवंटन लेने वाले को अतिथि गृह के नियमों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन करना होगा।
8. अतिथि गृह की बुकिंग को निरस्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।
9. संविदा शिक्षक/कर्मी को रू0 250.00 प्रतिदिन की दर से आवंटन की शर्तों के अनुसार अधिकतम 01 माह हेतु आवंटन किया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी।
2. सहायक अभियन्ता/सम्पत्ति अधिकारी/प्रभारी, विवेकानन्द प्रेक्षागृह/गेंदालाल दीक्षित अतिथि गृह/अटल अतिथि गृह।
3. प्रोग्रामर।
4. विश्वविद्यालय के अधिकारीगण।
5. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ। ।
6. पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner